संख्या-292/2021/351ई/23-11-2021-1/1(40)/2019

प्रेषक,

राजेश कुमार पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-11 लखनऊ::दिनांक 23 मार्च, 2021

विषय:-वित्तीय वर्ष 2020-21 में शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाईओवर के चालू कार्य की मद में धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्र सं0-13074 बी.जी./7बी0-मांग/2020-21, दिनांक 15.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के निर्माण संबंधी कार्यों के चालू कार्य की मद में वित्तीय वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अधोतालिका में अंकित चालू कार्यों पर कुल रू0 2000.00 लाख (रूपये बीस करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नानुसार और निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रूपये लाख में)

क्र0 सं0	जनपद/खण्ड का नाम	कार्य का नाम	स्वीकृत लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	नि0खं0-2 लखनऊ (उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ हेतु)	लखनऊ शहर में चरक चौराहा-हैदरगंज चौराहा-चरक क्रासिंग-विक्रम काटन मिल रोड के मध्य दो लेन फ्लाई ओवर निर्माण कार्य।(लम्बाई 2.478042 किमी0)	14266.34	13000.93	552.09
2	नि0खं0-2 लखनऊ (उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0 लखनऊ हेतु)	जनपद लखनऊ शहर में शहीद पथ से लखनऊ एयरपोर्ट को जोड़ने वाले वैकल्पिक मार्ग (एयपोर्ट से फैजाबाद रोड होते 115.094 मीटर तथा फैजाबाद रोड से एयरपोर्ट हेतु 1082.426 मीटर) के एलाइनमेन्ट में एलीवेटेड फ्लाई ओवर का निर्माण कार्य। (शहरी भाग) (लम्बाई 2.20 किमी0)	13469.51	10536.11	1447.91
		कुल			**2000.00**

(1) प्रश्नगत चालू कार्यों हेतु उल्लिखित धनराशि के सापेक्ष वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों एवं संगत शासनादेशों आदि का अनुपालन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सुनिश्चित किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य कार्य/मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित किया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सम्परीक्षित लेखा दिनांक 30.04.2021 तक शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) उक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सम्बन्धी मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्यों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-03-राज्य राजमार्ग-337-सड़क निर्माण कार्य-86-शहरों के बाईपास/रिंग रोड/फ्लाई ओवर के चालू कार्यों की व्यवस्था-00-24-वृहत् निर्माण कार्यके नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश सं0-1/2021/बी-1-141/दस-2021/2020, दिनांक 20.01.2021 एवं शासनादेश सं0-04/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07.04.2020 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

संख्या-292/2021/351ई(1)/23-11-2021, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा0 उप मुख्यमंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल/ जिलाधिकारी, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- निदेशक, स्थानीय निधि, लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
8- मुख्य अभियन्ता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ।
10- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
11- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।
12- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
13- लोक निर्माण अनुभाग-1/9/10/12 एवं 14, उ0प्र0 शासन।
14- डाटा सेल, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
15- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेश कुमार पाण्डेय)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।